

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021—ज्येष्ठ 7, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 मई 2021

क्र. एफ ए 3-01-2018-1-पांच-(22).—मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्र. 12 सन् 2018) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 5 में, अंक एवं शब्द “0045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क—112” के स्थान पर, अंक और शब्द “0040—बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर—112” स्थापित किये जाएं.
  - (2) फार्म सी—2 में, अंक एवं शब्द “0045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क—112” के स्थान पर, अंक और शब्द “0040—बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर—112” स्थापित किये जाएं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2021

क्र. एफ ए 3-01-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-01-2018-1-पांच-(22), दिनांक 28 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 28th May 2021

No. F A 3-01-2018-1-V-(22).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Niyam, 2018, namely :—

AMENDMENTS

In the said rule,—

- (1) In rule 5, for the figures and words “0045—other taxes and duties on commodities and service—112”, the figures and words “0040—taxes on sales and trade etc.—112”, shall be substituted.
- (2) In Form C-2, for the figures and words “0045—other taxes and duties on commodities and service—112”, the figures and words “0040—taxes on sales and trade etc.—112”, shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have been come into force from 1st April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.